न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 35/2023 (Bank Case)
GCMS NO 2023/60

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर–32001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री हरि प्रसाद पुत्र श्री केसरी लाल
पता– गणेश जी से मन्दिर का रास्ता, आमली कोटा राजस्थान– 325601
अन्य पता–ग्राम पंचायत खसरा नं0 164, ग्राम आमली, ग्राम पंचायत मण्डाप, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा राज0

–(ऋणी /बंधककर्ता)

–अपार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 10.12.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर–32001 से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 15.01.2020 को राशि 1,70,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख, सत्तर हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **बंधक अचल सम्पत्ति– श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री केसरी लाल की सम्पत्ति ग्राम पंचायत खसरा नं0 164, ग्राम आमली, ग्राम पंचायत मण्डाप, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा में स्थित है, जिसका पट्टा कमांक 3667 दिनांक 5.7.2018 कार्या0 ग्राम पंचायत मण्डाप पं0 समिति सांगोद द्वारा हरिप्रसाद के नाम से जारीशुदा है जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगोद द्वारा दिनांक 17.12.2018 को किया हुआ है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 08.08. 2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया **राशि– 1,49,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख उन्चास हजार, रूपये मात्र)** दिनांक 12.08.2022 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 16.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया हैं । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उनके खाते मे देय ऋण राषि मय ब्याज की राषि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 16.08.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **बंधक अचल सम्पत्ति– श्री हरिप्रसाद पुत्र श्री केसरी लाल की सम्पत्ति ग्राम पंचायत खसरा नं0 164, ग्राम आमली, ग्राम पंचायत मण्डाप, पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा में स्थित है, जिसका पट्टा कमांक 3667 दिनांक 5.7.2018 कार्या0 ग्राम पंचायत मण्डाप पं0 समिति सांगोद द्वारा हरिप्रसाद के नाम से जारीशुदा है जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगोद द्वारा दिनांक 17.12.2018 को किया हुआ है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की कियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें ।

आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)